न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 141/2023

अनवान : –

1. सुभाष पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. पतु पुत्र मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
3. कलावती पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
4. विमला पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
5. सुन्दर पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
6. सुनीता पुत्री मालाराम जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. मालाराम पुत्र नारायण जाति नायक निवासी ननाऊ तहसील नोहर।
2. शाखा प्रबन्धक स्टैट बैंक ऑफ इण्डिया नोहर तहसील नोहर।
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
4. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **सायल**

निर्णय दिनांकः 27/08/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा नणाउ तहसील नोहर के ख0न0 506 की 1.4670 हैक्ट, 538/2 की 3.8320, ख0न0 539/1 की 7.5660 हैक्ट, 543/1 की 4.4260 हैक्ट कुल 17.2880 हैक्ट भूमि में से 1/5 हिस्सा भूमि व ख0न0 786 की 2.0230 हैक्ट भूमि गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त भूमि पूर्व में प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही हहै। उपरोक्त कृषि भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौर कर्ता हिन्दु खान दान दर्ज है एवं गैरसायल स0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें सायलान का जन्म से हक हिस्सा है है यानि बाई बर्थ राईट है। इसलिए सायलान अपने हक हिस्सा अनुसार वाद भूमि अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल स0 1 के नाम बतौरकर्ता हिन्दु परिवार गलत दर्ज होने से सायलान को उसके हक व हिस्सा से महरूम करना चाहते [illegible] गैरसायल उक्त वाद भूमि को रहन, बैय करना चाहते है जिससे साय[illegible] अप्रार्थीगण के खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें कि [illegible] निस्तारण न हो तब [illegible]का व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:26:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा नणाउ तहसील नोहर के खाता स0 12/11 के ख0न0 506, 538/1, 539/1 व 543/1 की कुल 17.2880 हैक्ट भूमि में व रोही मौजा नणाउ तहसील नोहर के खाता स0 402/399 के ख0न0 788 की 2.0230 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 उक्त वाद भूमि में से प्रार्थीगण के हक हिस्सा की भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 1 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का अवलोकन किया।

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णित करना आवश्यक समझते है:–

1. प्रथम दृष्टया मामला :– प्रथम दृष्टया मामला से तात्पर्य है कि वाद पत्र और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से विश्वास करने का प्रर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त अराजी में वादी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है तथा प्रार्थी को प्रथम दृष्टया अराजी के उपयोग का अधिकार प्राप्त हों, इस का अर्थ यह नही है कि मामला पूर्णतया सिद्ध कर दिया जावें क्योंकि यह साक्ष्य का विषय है।

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थी स0 1 के नाम दर्ज है एवं पूर्व में रोही मौजा ननाउ के ख0न0 538, 539 व 539 की भूमि प्रार्थीगण के दादा नारायण के नाम दर्ज थी अर्थात उक्त ख0न0 की भूमि पैतृक भूमि है जबकि ख0न0 506 व 786 की भूमि के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है जिससे ख0न0 506 व 786 की भूमि पैतृक भूमि होना साबित हो। ख0न0 538, 539 व 539 की प्रार्थी के पूर्वजों के नाम दर्ज रही है और उनके बाद सायल के पिता यानि की अप्रार्थी संख्या 1 नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है अर्थात विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है। वादग्रस्त भूमि पैतृक है। हस्तगत प्रकरण में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय में विचाराधीन है, वादग्रस्त भूमि को पैतृक, मौरूसी एवं स्वअर्जित सम्पति होना और पक्षकारों का वादग्रस्त भूमि में हक निर्धारण होना शेष है जो मूल वाद में साक्ष्य उपरान्त ही निर्धारित हो सकेगा और स्पष्टतः विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य है और जहां विवाद एक ही परिवार के सदस्यों के मध्य हो वहां रिकार्डेड खातेदार को भी निषिद्ध किया जा सकता है ताकि भविष्य में वाद बाहुल्यता को रोका जा सकें। रोही मौजा ननाउ के ख0न0 538, 539 व 539 की भूमि पैतृक है इसलिए उक्त भूमि बाबत अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उ[illegible] 786 की भूमि के पैतृक के संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज [illegible] है जिससे ख0न0 505 व 786 की भूमि पैतृक भूमि होना साबित [illegible] 786 की भूमि बाबत अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नह[illegible]। अतः न्यायालय के विनम्र अभिमत में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:26:16 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

2. सुविधा का सन्तुलन– सुविधा के सन्तुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जाती है तो अधिकतम असुविधा प्रार्थी को होगी या अप्रार्थी को। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी स0 1 विवादित अराजी का काश्तकार है परन्तु ा0न0 538, 539 व 539 की भूमि पैतृक पैतृक भूमि होने के कारण प्रार्थीगण का भी वादग्रस्त भूमि में जन्मजात हक व हिस्सा है।। प्रार्थीगण का अप्रार्थी0 1 के विरूद्ध दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया हुआ है। प्रथम दृष्टया मामला भी प्रार्थीगण के पक्ष में आंशिक सिद्ध होता है। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति– अपूर्णीय क्षति से तात्पर्य एक तात्विक क्षति से है जिसकी पूर्ति नुकसानी के रूप में नही की जा सकती। चूंकि न्यायालय हाजा में प्रार्थी एवं अप्रार्थी का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत वाद विचाराधीन है। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में आंशिक साबित होता है अतः अपूर्णीय क्षति भी आंशिक साबित है।

अतः न्यायालय का विनम्र मत है कि प्रार्थी के पक्ष में तीनों बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति आंशिक साबित होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट आंशिक स्वीकार किया जाना विधिसंगत समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अवलोकन में प्रार्थना पत्र 212 आरटीएक्ट बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा आंशिक साबित होने के कारण आंशिक स्वीकार किया जाता है। अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 इस आशय का कन्फर्म किया जाता है कि मौजा नणाउ तहसील नोहर के ख0न0 538/2 की 3.8320, ख0न0 539/1 की 7.5660 हैक्ट, 543/1 की 4.4260 भूमि में प्रार्थी के हक व हिस्से की हद तक न्यायालय हाजा में विचाराधीन वाद का निस्तारण होने तक वादग्रस्त भूमि की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली इस कदर निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 27/08/2025 मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.08.29 11:26:16 IST
Reason: SelfAttested